न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/216/2017	28–12–2017	24–05–2018

01– सुरेश पुत्र नारायण जाति खटीक निवासी ग्राम कठूमर, तहसील कठूमर, जिला अलवर राज0

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर
दिनांक 07.12.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 52/2017

उपस्थितः–

01–श्री मूलचन्द चौधरी –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 07.12.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कठूमर की आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकीन रास्ता की 1080 वर्गफुट पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट अनुपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि ग्राम कठूमर की आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकीन रास्ता की 1080 वर्गफुट पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 29.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित होता है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 अनुसार अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.01 गैर मुमकीन रास्ता में 36X30 फुट कुल 1080 वर्गफुट पर गैंहु की फसल बुआई कर अतिक्रमण किया हुआ है एवं पूर्व में बोये गये पेड़ यथावत है तथा कब्जा नहीं छोडा है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.12.2017 यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार कठूमर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते का सही माप कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चत करे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)